

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 11 सितम्बर, 2019

विषय : राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं।

2- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका (एस/बी) संख्या 117/2019 ज्ञान चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.04.2019 पारित आदेश के क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैं :-

8. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand had, by proceedings dated 05.09.2012, conveyed the decision taken by the Government that, in the light of the judgment of the Division Bench of this Court in Vinod Prakash Nautiyal, all posts/vacancies of promotion would be filled up without giving reservation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and without applying the earlier roster system of reservation in promotions. In the light of the clarification of the Constitution Bench of the Supreme Court in Jarnail Singh, relying on the nine-Judge judgment in Indra Sawhney, the proceedings dated 05.09.2012, whereby the Government had decided to fill up the promotion posts/ vacancies without providing reservation to the Scheduled Castes / Scheduled Tribes, must be, and is accordingly, struck down as contrary to the law declared by the Supreme Court in Indra Sawhney and in Jarnail Singh.

9. While we may not be justified in reviving Section 3 (7) of the 1994 Act in collateral proceedings, as the earlier order of the Division Bench in Vinod Prakash Nautiyal has attained finality, suffice it to observe that, since the aforesaid judgment of the Division Bench of this Court only struck down Section 3(7) of the 1994 Act and nothing more, reservation can be provided, as held by the Supreme Court in Indra Sawhney, even by way of Government Orders, and not necessarily only by legislation-plenary or subordinate.

10. If the Government of Uttarakhand has either adopted the earlier notifications issued by the Government of Uttar Pradesh, or has issued notifications after its creation on 09.11.2000 providing reservation in promotions in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, then those notifications would remain in force, as its validity was not put in issue before the Division Bench in Vinod Prakash Nautiyal, and the challenge in those proceedings was confined only to the constitutional validity of Section 3(7) of the 1994 Act whereby legislative sanction was given to the earlier Government Orders in force. We also make it clear that, even if there are no such Government Orders in force in the State of Uttarakhand, Article 16(4-A) of the Constitution of India, an enabling provision, confers power on the Government of Uttarakhand to take necessary steps, if they so choose, to provide reservation in promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, without having to gather quantifiable data regarding either their backwardness or the adequacy of their representation in services.

11. The writ petition is disposed of accordingly. No costs.

3- मा० उच्चतम न्यायालय के एम० नागराज व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2006) 8 SCC 212 में "भारत का संविधान" अनुच्छेद 16(4A) के अन्तर्गत राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता अभिनिर्धारण होने एवं "भारत का संविधान" अनुच्छेद 335 के अधीन पदोन्नति में आरक्षण का प्रशासन में कुशलता पर प्रभाव का अध्ययन के उपरान्त निर्णय लिये जाने के निर्देश हैं। SLP (CIVIL) No. 30621 of 2011 Jarnail Singh Vs Lachhmi Narain Gupta में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धान्तों की समीक्षा विचाराधीन है तथा मा० उच्चतम न्यायालय का दिनांक 15.04.2019 को status quo का भी आदेश है। उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी प्रकरण का विनिश्चय किये जाने तक शासनादेश संख्या 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004टी.सी. दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के अनुसार यथास्थिति बनाये रखने हेतु मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 01.04.2019 के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका योजित की गयी है।

4- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 351 (एस०/बी०)/2019 उत्तराखण्ड एस०सी०/एस०टी० इम्प्लॉईज फ़ैडरेशन व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.08.2019 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

6. Suffice it to observe that since, prima facie, the Government Order dated 21.01.2006 stands revived, on the subsequent Government Order dated 05.09.2012 being quashed, the said Government Order dated 21.01.2006 would govern reservation in promotion, in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as long as the said Government Order remains in force.

7. While we see no reason to interdict the process of promotion undertaken by the State Government, suffice it to make it clear that such exercise of promotion shall be undertaken only after providing reservation in promotion, in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, in terms of the Government Order dated 21.01.2006 which continues to remain in force.

8. All the selected candidates shall also be informed that their promotion shall be subject to further orders in this Writ Petition.

5- मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (एस/बी) संख्या 117/2019 ज्ञान चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.04.2019 के आदेश से शासनादेश दिनांक 05.09.2012 को निरस्त किया गया है। शासनादेश दिनांक 05.09.2012 में शासनादेश संख्या 686/XXX(2)/2012-55(47)/2004टी.सी. दिनांक 19 जुलाई, 2012 को निरस्त करने का उल्लेख है। अतः शासनादेश दिनांक 05.09.2012 के अपास्त होने से शासनादेश संख्या 686/XXX(2)/2012-55(47)/2004टी.सी. दिनांक 19 जुलाई, 2012 स्वयमेव प्रभावी हो गया है। शासनादेश संख्या 686/XXX(2)/2012-55(47)/2004टी.सी. दिनांक 19 जुलाई, 2012 में डी0पी0सी0 की बैठक का आयोजन फिलहाल न करने एवं शासन के अग्रिम आदेशों तक पदोन्नति स्थगित रखे जाने का उल्लेख है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष योजित पुनर्विलोकन याचिका में पारित होने वाले निर्णय एवं तत्क्रम में राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णय तक राज्याधीन सेवा के समस्त संवर्गों में पदोन्नति सम्बन्धी प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा जाय।

भवदीय,
(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या: (1)/XXX(2)/2019-55(47)/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।